

डी पी एच सी एल DPHCL

7^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट
7th ANNUAL REPORT
2013-14

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

डी पी एच सी एल DPHCL

7^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट 7th ANNUAL REPORT

2013-14

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi - 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com

क्र.सं. SL.No.	विषय PARTICULARS	पृ.सं. PAGE No.
1.	नोटिस Notice	1
2.	कंपनी सूचना Company Information	5
3.	दिपुआनिलि की पृष्ठभूमि और कार्य Background And Function Of DPHCL	6
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट Directors Report	10
5.	कर योग्य आय की गणना Computation Of Taxable Income	13
6.	तुलन-पत्र Balance Sheet	15
7.	लाभ और हानि का विवरण Statement of Profit & Loss	17
8.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां Notes on Financial Statements	19
9.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditors Report	29
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी Comments Of The Comptroller And Auditor General Of India	34

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534

दूरभाष : 23490357

ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की 7वीं वार्षिक आम बैठक 24 सितंबर, 2014 को 12:30 बजे कान्फ्रेंस हॉल, 3री मंजिल, पुलिस मुख्यालय, एम एस ओ बिल्डिंग नई दिल्ली-110002 में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2014 को तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के लाभ और हानि के लेखा तथा उसके साथ संलग्न अनुसूचियों को एवं उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों, तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करना, अपनाना।
2. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत वर्ष 2014-15 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक का पारिश्रमिक निर्धारित करना और और निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल को वर्ष 2014-15 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स सुंदर शर्मा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार का पारिश्रमिक निर्धारित को करने लिए अधिकृत किया जाता है।”

विशेष व्यापार:

3. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुच्छेद 68 के प्रावधानों के अनुसार श्री किशन कुमार (डिन-06855317), विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, जो भावी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक अपर निदेशक का पद संभालेंगे और जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत श्री किशन कुमार से कंपनी के निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारी प्रस्तावना का अभिप्राय बताने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है और उन्हें एतद्वारा स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाता है।

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

K- Block Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

CIN No.: U4500DL2007GOI170534

Tele No. 23490357

e-mail : dphcltd@yahoo.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Seventh Annual General Meeting of **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** will be held on Wednesday, 24th Day of September 2014 at 12:30 PM. in the Conference Hall, Police Headquarters, 3rd Floor, MSO Building, New Delhi-110002 to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2014 and Profit and Loss account for the period ended on that date and schedules annexed of thereto, together with Reports of the Board of Directors and Statutory Auditors for that year and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To fix the remuneration of Statutory Auditors of the Company for the year 2014-15 to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India and to pass the following resolution as an ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions Section 139(5) and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the company be and are hereby authorised to fix the remuneration of M/s Sunder Sharma & Co. Chartered Accountants, Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2014-15."

SPECIAL BUSINESS:

3. To consider and if thought, fit to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution;**

"RESOLVED THAT in accordance with applicable provisions of the Companies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articles of Association of the Company, Sh. Kishan Kumar (DIN-06855317) Special Commissioner of the Police, Delhi, who was appointed as an Additional Director to hold office as such upto the date of forthcoming Annual General Meeting and in respect of whom notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 has been received from him signifying his intention to propose as a candidate for the -office of Director of the Company be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation."

4. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के प्रावधानों के अनुसार श्री जी. एल. मीना (डिन-06727974) जिन्हें भावी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय का पद संभालने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया है और जिसके के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत उनसे कंपनी के निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारी प्रस्तावना का अभिप्राय बताने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है और उन्हें एतद्वारा स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाता है।

5. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के प्रावधानों के अनुसार श्री एस. पी. पाठक (डिन-06843989) जिन्हें भावी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय का पद संभालने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया है और जिसके के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत उनसे कंपनी के निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारी प्रस्तावना का अभिप्राय बताने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है और उन्हें एतद्वारा स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाता है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

(किशन कुमार)

प्रबंध निदेशक

डिन-06855317

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24.09.2014

टिप्पणी:

1. बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी को प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी का खाली प्ररूप संलग्न है और यदि प्रयुक्त करने का इरादा है, वार्षिक आम बैठक के शुरु होने के 48 घंटे से पहले कंपनी में जमा कर देना चाहिए।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

4. To consider and if thought, fit to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution;**

"**RESOLVED THAT** in accordance with applicable provisions of the Companies Act 2013, Rules made there-under and the Articles of Association of the Company, Sh. G.L. Meena (DIN-06727974) who was appointed as an Additional Director to hold office as such upto the date of forthcoming Annual General Meeting and in respect of whom notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 has been received from a member signifying his intention to propose as a candidate for the -office of Director of the Company be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation."

5. To consider and if thought, fit to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution;**

"**RESOLVED THAT** in accordance with applicable provisions of the Companies Act 2013, Rules made there-under and the Articles of Association of the Company, Sh. S.P. Pathak (DIN-06843989) who was appointed as an Additional Director to hold office as such upto the date of forthcoming Annual General Meeting and in respect of whom notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 has been received from a member signifying his intention to propose as a candidate for the -office of Director of the Company be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation."

By order of the Board of Directors


(KISHAN KUMAR)
Managing Director
DIN: 06855317

Place : New Delhi
Dated : 24.09.2014

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a member of the company. A blank form of proxy is enclosed and if intended to be used, it should be returned to the company not less than forty-eight hours before the Annual General Meeting duly completed.
2. Explanatory statement Pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 is attached herewith.

कंपनी सूचना

COMPANY INFORMATION

निदेशक मंडल (2013–2014)

Board of Directors (2013-2014)

श्री भीम सेन बस्सी

Sh. Bhim Sain Bassi

अध्यक्ष Chairman

(दिनांक/w.e.f. 01-08-2013)

श्री नीरज कुमार

Sh. Neeraj Kumar

अध्यक्ष Chairman

(दिनांक/w.e.f. 03-09-2012 से/to 31-07-2013)

श्री किशन कुमार

Sh. Kishan Kumar

प्रबंधक निदेशक Managing Director

(दिनांक/w.e.f. 20-03-2014)

श्री मोहन नारायण थोततुवा

Sh. Mohan Narayanan Thottuva

प्रबंधक निदेशक Managing Director

(दिनांक/w.e.f. 16-12-2010 से/to 24-02-2014)

डॉ. शब्द प्रकाश बंसल

Dr. Shabd Prakash Bansal

निदेशक Director

(दिनांक/w.e.f. 16-11-2007 से/to 03-12-2013)

डॉ. अवधेश कुमार सक्सेना

Dr. Awdhesh Kumar Saxena

नामित निदेशक Nominee Director

(दिनांक/w.e.f. 22-06-2012)

श्री गिरधारी लाल मीणा

Sh. Girdhari Lal Meena

निदेशक Director

(दिनांक/w.e.f. 29-10-2013)

श्री संजय प्रह्लाद पाठक

Shri Sanjay Pralhad Pathak

निदेशक Director

(दिनांक/w.e.f. 27-02-2014)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स सुंदर शर्मा एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

कार्यालय: 191, गली बताशां,

चावड़ी बाजार,

दिल्ली – 110006

Statutory Auditors

M/s. Sunder Sharma & Company

Chartered Accountants

Office : 191, Gali Batashah,

Chawari Bazar,

Delhi – 110006

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

Bankers

State Bank of India

I. P. Estate, New Delhi-110002

पंजीकृत कार्यालय :

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,

नई दिल्ली-110002

Registered Office :

Delhi Police Housing Corporation Limited

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,

New Delhi – 110002

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की पृष्ठभूमि और कार्य

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (डीपीएचसीएल) की स्थापना मंत्रिमंडल की टिप्पणी के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.2006 के पत्र द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर, 2007 को हुई। निगम की आज की तारीख में प्राधिकृत अंश पूंजी दस करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए है।

निगमन का उद्देश्य

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परियोजना के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक पुलिस आवास निगम की स्थापना की जाए। निगम की मुख्य इमारत सहित अथवा बिना इमारत के भूमि की अधिग्रहण, गतिविधि घरों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण करना है।

गृह मंत्रालय के दिनांक 7 जुलाई, 2006 के पत्र सं 14014/02/05 यूटीपी के अनुसार, निगम में स्थायी स्थिति में निम्नांकित कोर स्टाफ होगा :

(i)	प्रबंध निदेशक	एजीएमयू संवर्ग का आईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी
(ii)	पर्यवेक्षक इंजीनियर – एक	सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर – एक	
(iv)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर – दो	
(v)	महाप्रबंधक (वित्त)–सह–कंपनी सचिव – एक	प्रतिनियुक्ति पर

(i)	The Managing Director	An IPS Officer of the IG Rank of AGMU Cadre
(ii)	Superintending Engineer– One	Deputation from CPWD & other Govt. agencies/PSUs
(iii)	Executive Engineer– One	
(iv)	Assistant Executive Engineer – Two	
(v)	General manager (Finance) – cum- Company Secretary– One	On Deputation

निजी स्टाफ सहित कुल कार्यालयीन सहायक कार्मिक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित तकनीकी स्टाफ को परियोजना आधारित संविदा सौंपी जाएगी।

BACKGROUND AND FUNCTION OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL) was formed with the approval of Hon'ble President of India vide MHA's letter Dated 02.06.2006 through Note for the Cabinet and incorporated in Dated 16th November' 2007 under Companies Act, 1956. The Authorized Share Capital of the Corporation is Rupees Ten crores and Paid up Capital of Rupees Five crores as on date.

OBJECTIVES OF INCORPORATION

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station Buildings, it was proposed that a Police Housing Corporation be established for Delhi Police. The main activities of the Corporation are to acquire land with or without buildings, undertake construction and maintenance of houses, offices or other buildings etc.

As per MHA's letter No. 14014/02/05-UTP dated 7th July, 2006 the Corporation shall have following core staff in permanent positions :-

The total supporting office staff should not be more than 10 including personal staff. The technical staff required for supervising of works will be on project based contract assignments.

वर्तमान संगठनात्मक संरचना :-

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर अध्यक्ष (पदेन)
2. विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर प्रबंध निदेशक (पदेन)
3. गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
6. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/1/2012- यूटीपी के द्वारा डीपीएचसी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए डीपीई को मंत्रिमंडल का सूचित अनुमोदन निम्नानुसार है:

1. सरकारी निदेशक - दो
2. स्वतंत्र निदेशक - दो
3. कार्यकारी निदेशक - दो

सरकारी निदेशक :- डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में सरकारी निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो सरकारी निदेशकों को प्रस्तावित किया है :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली - पदेन अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि

स्वतंत्र निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में स्वतंत्र/गैर-सरकारी, अंशकालिक निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से न्यूनतम 1/3 होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो स्वतंत्र निदेशक प्रस्तावित हैं।

कार्यकारी निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्गीकरण : डीपीएचसीएल को लोक उद्यम विभाग द्वारा अनुसूची 'ग' सीपीएसई कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

पंजीकरण : डीपीएचसीएल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.2007 को CIN - U4500DL2007GOI170534 द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

PRESENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE :-

1. Commissioner of Police, Delhi as Chairman (Ex Officio).
2. Special Commissioner of police as Managing Director (Ex Officio).
3. One Representative of Ministry of Home Affairs as Director.
4. One Representative of Government of NCT of Delhi as Director.
5. One Representative of Ministry of Urban Development of India as Director.
6. One Representative from DDA as Director.

The MHA vide O.M. No. 14014/1/2012-UTP, dated 22nd January, 2016 has conveyed the approval of Cabinet to DPE to re-constitute the Board of Directors of DPHCL as under :-

1. Government Director - Two
2. Independent Director - Two
3. Functional Director - Two

GOVERNMENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every board should have Government Directors, the member of such Directors in the Board should not exceed 1/6th of the actual strength of the Board. DPHCL has proposed two Government Directors :-

1. Commissioner of Police, Delhi- Ex. Officio Chairman.
2. One representative from Ministry of Home Affairs.

INDEPENDENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have Independent/Non-official, Part-Time Directors; the number of such Directors in the Board should be at least 1/3rd of the actual strength of the Board. In DPHCL two Independent Directors are proposed.

FUNCTIONAL DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have full time functional Directors; the number of such Directors in the Board should not exceed 50% of the actual strength of the Board.

CATEGORISATION :- DPHCL is categorized as a **Schedule "C" CPSE** Company by Department of Public Enterprises.

REGISTRATION :- DPHCL was registered under the Companies Act 1956 (No. 1 of 1956) as Limited Company vide CIN No. U4500DL2007GOI170534 dated 16.11.2007 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र : डीपीएचसीएल ने अपना व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2008 को प्राप्त किया।

निगम के प्रचालन का क्षेत्र : संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण हैं। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में, निगम ने दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन कक्ष से चल रही 5 परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया है।

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS :
DPHCL has also got its Certificate for Commencement of Business on 21.05.2008 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

AREA OF OPERATION OF THE CORPORATION :-
The main activity of the Company as per Memorandum of Association is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Presently, the Corporation has undertaken five ongoing projects from the Land and Building Cell of Delhi Police.

विलंब का कारण

गृह मंत्रालय ने दिनांक 30 नवंबर, 2017 के ई-मेल के द्वारा लोक सभा सचिवालय का दिनांक 29 सितंबर, 2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 19/2/2017-2018/सीआईआई/सीपीएल, अग्रेषित किया तथा वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेजों को सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रफोर्मा में तात्कालिक विभिन्न जानकारियों मांगी। अपेक्षित जानकारियों को निर्धारित प्रफोर्मा में वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें, बीएजी की टिप्पणियों की प्रति 10^{वीं} वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त तथा दिनांक 21.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 46^{वीं} बैठक का कार्यवृत्त सहित दिनांक 31.01.2018 को इस कार्यालय के पत्र सं. 34/पी.सके.वि. पुआ/प्रनि/ डीपीएचसी/पीएचक्यू के द्वारा दी गई थी। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखों/लेखापरीक्षित रिपोर्टों के लिए नहीं कहा था। डीपीएचसीएल को सभा पटल पर वार्षिक लेखा को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नहीं पता थी। अतएव डीपीएचसीएल ने अपनी गतिविधियों को आरंभ न करने के कारण और तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्व वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखों तथा लेखा परीक्षित लेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

हालांकि, सीएंडएजी ने डीपीएचसीएल के लेखों की लेखापरीक्षा की है तथा उन्हें सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई संदिग्धता नहीं है। तब से डीपीएचसीएल के अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक लेखें और लेखापरीक्षित लेखे आवश्यक कार्यवाही के लिए लगातार गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

REASON FOR DELAY

The MHA vide email dated 30th November, 2017 had forwarded the Lok Sabha Secretariat's OM No. 19/2/2017-2018/CII/CPL, dated 29th September, 2017 and sought various information urgently on the prescribed proforma for laying of Annual Report/Audited Accounts Reports and other documents on the table of the Houses. The required information on the prescribed proforma was conveyed to MHA vide this office letter No. 34/P.Sec.Spl.CP/MD/DPHC/PHQ, dated 31.01.2018 along with Annual Report/ Audited Accounts Reports for the Financial Year 2016-2017, copy of C&AG Comments, Minutes of 10th Annual General Body Meeting and 46th Board Meeting held on 21.12.2017. Prior to this MHA not asked the Annual Accounts/Audited Accounts Report for laying on the table of the Houses. DPHCL has not known for the procedure for laying the Annual Account on the table of the House. Hence, DPHCL has provided Annual Audited Accounts for the previous financial years on routine manner to MHA due to none starting of its activities and unavailability of technical staff.

However, C&AG undertake audit of accounts of DPHCL and no ambiguity has been noticed. Since then the Annual Accounts and Audited Accounts Reports, C&AG Comments alongwith other documents of DPHCL are being provided to MHA continuously for necessary action.

गृह मंत्रालय से दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019-यूटीपी/ भास/गृम के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएफईएस सीबी-II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए किताब के रूप में इसके साथ भेजे जा रहे हैं।

विलंब कथन

(वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के लिए)

यह गृह मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019-यूटीपी/ भास/गृम के पत्र के संदर्भ में है। जिसके द्वारा गृह मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएफईएस सीबी-II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया है। मामले पर तत्काल संज्ञान लिया गया और दिनांक 24 जनवरी, 2020 को 55वीं बोर्ड बैठक में कार्यसूची की मद सं. 14 पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निदेशक मंडल ने विशेष पुलिस आयुक्त/प्रबंध निदेशक, दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिकृत किया है।

चूंकि पिछले 12 वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2018-19 तक का संचित कार्य था, सीएजी विभाग और डीपीएचसीएल के सनदी लेखाकार द्वारा लेखों और लेखापरीक्षित लेखों का संकलन/प्रमाणन पहले ही किया जा चुका है।

Now as per the directions of MHA received vide letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019, the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments along with other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) are sent herewith for laying on the table of the Houses in accordance with the procedure mentioned in the Lok Sabha Secretariat OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019 CBI, dated 6th September, 2019.

DELAY STATEMENT

(For the year 2007-2008 to 2018-2019)

This is in pursuance of MHA's letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019 vide which MHA asked to furnish the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments alongwith other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) for laying on the table of the Houses in accordance with the Lok Sabha Secretariat's OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019CBI, dated 6th September, 2019 in first time. The matter was immediately taken-up with senior officers and placed before the Board of Directors during 55th Board Meeting held on dated 24th January, 2020 vide Item No.14. The Board of Directors authorized Spl. Commissioner of Police/ Managing Director, Delhi Police Housing Corporation Limited to get the work done at the earliest.

Since there were backlogs for the past 12 years i.e. 2007-2008 to 2018-2019, compilation/ certification of Audited Accounts has already been done by the C&AG Department and Chartered Accountant of the DPHCL.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि की 7^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

कंपनी अभी भी प्रचालन के प्रारंभिक स्तर पर है, अतः 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष कंपनी का के दौरान कुल रु. 123,839,899/- राजस्व है और रु 8,913,827/- लाभ है जिसे अवधि के दौरान, सभी खर्चों को पूरा करने के बाद तुलन-पत्र में ले जाया गया था।

लाभांश

कंपनी ने अभी ही अपनी गतिविधि शुरू की है, निदेशक मंडल ने किसी भी लाभांश को संस्तुत नहीं किया है।

मियादी निवेश

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जनता से कोई मियादी निवेश न स्वीकार किया है न नवीकृत किया है।

धारा 217 (2ए) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना लागू नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन

ऊर्जा संरक्षण

चूंकि कंपनी विनिर्माण व्यापार में शामिल नहीं है, अतः इसके प्रचालन में ऊर्जा का कोई अधिक उपयोग नहीं हुआ है तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विवरणों का प्रकटीकरण), नियमावली, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (इ) संबंधी विवरण अपेक्षित नहीं है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं और प्रबंध निदेशक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बोर्ड का गठन इस प्रकार है:

1. अध्यक्ष
श्री भीम सेन बस्सी, पुलिस आयुक्त, दिल्ली
2. प्रबंध निदेशक
श्री किशन कुमार, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Directors of your Company have the pleasure to present their 6th Annual Report for the year ended 31st March, 2014.

FINANCIAL RESULTS

The Company is at its initial stage of operations therefore, during the financial year ending 31st March, 2014 the company has total revenue of Rs.123,839,899/- and profit of Rs.8,913,827/- which was transferred to the balance sheet after meeting out all expenses and taxes during the period.

DIVIDEND

Since the company is at its initial stage of operations, the Board has recommended no dividend.

FIXED DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any fixed deposits from public during the year under review.

PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 217 (2A)

During the year under review, the information required under section 217(2A) of the Companies Act, 1956, is not applicable.

ENERGY CONSERVATION AND TECHNOLOGY ABSORPTION

Energy Conservation

Since the Company is not involved in manufacturing business, it has no significant consumption of energy in its operations and as such no specific methods have been adopted to conserved energy.

The particulars pursuant to Section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Disclosure of Particulars on Report of Board of Directions) Rules, 1988 are not required.

DIRECTORS

The Board of Directors consists of a Chairman, who is the Commissioner of Police, Delhi a Managing Director who is a Special Commissioner of Police, Delhi.

The constitution of the Board during the year is as follows:

1. Chairman
Shri Bhim Sain Bassi, Commissioner of Police, Delhi.
2. Managing Director
Shri Kishan Kumar, Special Commissioner of Police, Delhi.

3. डॉ. ए. के. सक्सेना, संयुक्त निदेशक (दिल्ली), गृह मंत्रालय, प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय।
4. श्री एस. पी. पाठक, अपर आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मिनार, नई दिल्ली।
5. श्री जी. एल. मीणा, विशेष सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली सरकार।

वर्ष के दौरान, श्री टी. एन. मोहन, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली और श्री एस. पी. बंसल, अपर आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण, निगम के निदेशक के पद से कार्यकाल समाप्त हो गया। बोर्ड, उन्हें उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके अमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है।

अवधि के दौरान, श्री किशन कुमार, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को निगम के निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। इसके अलावा, अवधि के दौरान श्री जी. एल. मीणा और श्री एस. पी. पाठक को निगम के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया।

निदेशकगण का उत्तरदायित्व का कथन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) की आवश्यकता के अनुसारण में कंपनी के निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि:

- i. वार्षिक लेखे को तैयार करने में उचित प्रस्तुत सामग्री से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- ii. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्य व्यवहार और अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकगणों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया तथा लगातार लागू किया एवं निर्णय और प्राक्कलन किया, जो कि उचित और विवेकी है।
- iii. निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है
- iv. निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने दिनांक 31.07.2014 पत्र सं. सीए.व/सीओवाई/सैंट्रल गवर्नमेंट/डीपीएचसी (1) /251 द्वारा मैसर्स सुंदर शर्मा एंड कं., 191, गली बताशां, चावड़ी बाजार को वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

3. Dr. A.K. Saxena, Joint Secretary (Delhi) Min. of Home Affairs, a representative of the Ministry of Home Affairs
4. Shri S.P. Pathak, Addl. Commissioner (Planning), Delhi Development Authority, Vikas Minar, New Delhi
5. Shri G.L. Meena, Special Secretary home, GNCT, Delhi

Shri T.N. Mohan, Special Commissioner of Police, Delhi and Dr. S.P. Bansal Addl. Commissioner (Planning), Delhi Development Authority, Directors of the Corporation have ceased to be Directors of the Corporation during the year. The Board wishes to place on record its sincere appreciation for the valuable contributions made by them during their tenure.

During the period Shri Kishan Kumar, Special Commissioner of Police, Delhi was appointed as Managing Director on the Board of the Corporation. Further during the period Shri G.L. Meena and Shri S.P. Pathak were appointed as Directors on the Board of the Corporation.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement of Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956 Directors of the company confirm that:

- i. In preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with Proper explanation relating to material departures.
- ii. The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit & loss of the Company for that period.
- iii. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities, and
- iv. The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

STATUTORY AUDITORS

The Comptroller & Auditor General of India vide letter no. CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DHPC (1)/251 dated 31.07.2014 appointed M/S Sunder Sharma & Co., 191 Gali Batashan, Chawari Bazar, Delhi as Company's Statutory Auditors for the year 2014-2015.

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स सुंदर शर्मा एंड कंपनी द्वारा लेखों पर टिप्पणियों सहित प्रस्तुत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है और कोई पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंध समिति का उत्तर

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने दिनांक 11.07.2014 के पत्र सं. 240-पीडीसीए/एचएस/एमएबी-IV/ए/सीएस/डीपीएचसीएल/14-15/255 के द्वारा 31 मार्च, 2014 की वित्तीय विवरणिकाओं पर शून्य टिप्पणी की है अतः भारत के महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंध समिति का उत्तर अपेक्षित नहीं है।

सराहना

कंपनी के निदेशकगण निगम के मामले को अग्रसक्रिय रूप से कार्यात्मक करने के लिए गृह मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड, श्री टी. एन. मोहन, पूर्व प्रनि/डीपीएचसीएल और श्री किशन कुमार, प्रनि/डीपीएचसीएल को निगम के मामले को आगे बढ़ाने तथा निगम के प्रचालन को उत्साह से गति देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

आभारोक्ति

आपका निदेशकगण दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूर्णरूपेण तथा बाधारहित सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, कंपनी के बैंकर, कंपनी के सनदी लेखाकार, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा विभिन्न परामर्शदाता एसोसिएट्स का कंपनी को बहुमूल्य सहायता देने के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। हम सुश्री आशु गुप्ता, निगम के विधि सलाहकार का कंपनी की स्थापना और कंपनी के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए उनकी सतत् सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अंत में, आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस के विभिन्न विभागों और भिन्न स्तरों से लिए गए कंपनी के स्व-अनुशासित, अत्यधिक प्रेरित और समर्पित कर्मचारियों के आभारी हैं। हमें विश्वास है कि उनके उमंग और उत्साह से कंपनी अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

(भीम सेन बस्सी)

अध्यक्ष

डीन - 06699868

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24.09.2014

AUDITORS' REPORT

The Auditors' Report submitted by M/s Sunder Sharma & Co, Chartered Accountants alongwith notes to accounts is self-explanatory and requires no separate comments.

MANAGEMENT REPLY TO THE COMMENTS OF THE CAG

Management Reply to the comments of Comptroller and Auditor General of India in Audit Report is not required as COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA vide his letter No.240-PDCA/HS/MAB-IV/A/CS/DPHCL/14-15/255 dated 11.07.2014 have made NIL comments on the financial statements for the year ended 31st March 2014.

APPRECIATION

Directors of the Company wish to express their sincere gratitude to the Ministry of Home Affairs and Department of Public Enterprises in proactively taking up the Corporation affairs. The Board places on record their sincere gratitude for Sh. T.N. Mohan, then MD/DPHC and Shri Kishan Kumar, MD/DPHC for pursuing the Corporation matters and to speed up the operations of the Corporation with zeal.

ACKNOWLEDGMENTS

Your Directors would like to express their sincere thanks to the officers and employees of Delhi Police, MHA, DDA, GNCT and Ministry of Urban Development, New Delhi for their whole-hearted and unstinted support. Thanks are also due to the SBI, the bankers of the Company, Chartered Accountant of the Company, Statutory Auditors of the Company and various consulting associates for giving valuable advice to the Company. We are also thankful to the Ms. Ashu Gupta, Company Law Advisor of the Corporation for her untiring efforts in organizing the company's affairs of the Corporation. Last but not the least; your Directors are thankful to the self-disciplined, highly motivated and dedicated staff of the Company drawn from different disciplines and at different levels from Delhi Police. We are sure that with their zeal and enthusiasm, the Company would rise to greater heights.

For and on behalf of Board of Directors



(Bhim Sain Bassi)

Chairman

DIN: 06699868

Place : New Delhi.
Dated: 24.09.2014

मूल्यांकन वर्ष: 2014-15
पूर्व वर्ष : 2013-14
पैन : AACCD8943J

कर योग्य आय की गणना

<u>व्यापार अथवा व्यवसाय से आय</u>	
लाभ और हानि लेखे से निवल लाभ	13,215,394
जोड़ें : धारा 40ए(ii) के अंतर्गत स्रोत पर कटौती के ब्याज पर रोक	200
जोड़ें : धारा 40ए(ii) के अंतर्गत आयकर पर ब्याज	42,437
घटाएं : प्राथमिक व्यय (आयकर अधिनियम के अनुसार अनुमत्य)	—
कुल आय	<u>13,258,031</u>
कुल आय को पूर्णांक करना	13,258,030
कुल आय पर कर	3,977,409
जोड़ें: 5% की दर से अधिभार	<u>198,870</u>
	4,176,279
जोड़ें: 3% की दर से शिक्षा उपकर	125,288
कुल कर	4,301,567
घटाएं : अग्रिम कर	2,293,080
घटाएं : स्रोत कर कटौती	2,860,200
देय कर	<u>(851,713)</u>

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(भीम सेन बस्सी)
अध्यक्ष

ह.
(किशन कुमार)
प्रबंध निदेशक

ASSTT. YEAR : 2014-15
PREV. YEAR : 2013-14
PAN : AACCD8943J

COMPUTATION OF TAXABLE INCOME

<u>INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION</u>	
Net Profit as per Profit & Loss A/c	13,215,394
Add: Interest on TDS disallowed u/s 40a (ii)	200
Add: Interest on I. Tax disallowed u/s 40a(ii)	42,437
Less: Preliminary Exp. (allowed as per Income Tax Act))	—
Total Income	<u>13,258,031</u>
Total Income r/off	13,258,030
Tax on Total Income	3,977,409
Add: Surcharge @5%	<u>198,870</u>
	4,176,279
Add: Education Cess @3%	125,288
Total Tax	4,301,567
Less: Advance Tax	2,293,080
Less: TDS	2,860,200
Refund Due	<u>(851,713)</u>

For and on behalf of the Board

Sd/-
(Bhim Sain Bassi)
Chairman

Sd/-
(Kishan Kumar)
Managing Director

विवरण	टिप्पणी सं०	31/03/2014 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
ईक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि	1		
(क) शेयर पूंजी		50,000,000	50,000,000
(ख) आरक्षित और अधिशेष	2	36,722,437	27,808,610
(ग) शेयर वारंट के लिए प्राप्त धनराशि			
(2) शेयर आवंटन राशि लंबित आवंटन			—
(3) गैर-चालू देयताएं		—	—
(क) दीर्घावधि ऋण		—	—
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		—	—
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं		—	—
(घ) दीर्घावधि प्रावधान		—	—
(4) चालू देयताएं			
(क) अल्पावधि ऋण		—	—
(ख) व्यवसाय भुगतान		—	—
(ग) अन्य चालू देयताएं	3	169,900,371	8,207,027
(घ) अल्पावधि प्रावधान	4	—	4,298,274
कुल		256,622,808	90,313,911
II. आस्तियां			
(1) गैर-चालू आस्तियां			
(क) स्थिर आस्तियां		—	—
(i) मूर्त आस्तियां		—	—
(ii) अमूर्त आस्तियां		—	—
(iii) कार्यशील पूंजी		—	—
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		—	—
(ख) गैर-चालू निवेश		—	—
(ग) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		—	—
(घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम		—	—
(ङ) अन्य गैर-चालू आस्तियां		—	—
(ख) चालू आस्तियां			
(क) चालू निवेश		—	—
(ख) माल सूची		—	—
(ग) व्यवसाय प्राप्य		—	—
(घ) नकद और नकद समकक्ष	5	245,723,313	77,504,606
(ङ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	6	—	2,555,186
(च) अन्य चालू आस्तियां	7	10,899,495	10,254,119
कुल		256,622,808	90,313,911
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1-22		
टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का भाग हैं।			

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
 कृते सुंदर शर्मा एडं कंपनी
 सनदी लेखाकार
 एफआरएन-008629एन
 ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
 भागीदार
 सदस्यता सं. 087495
 स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 27.06.2014

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
 दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह. (भीम सेन बस्सी) (किशन कुमार)
 अध्यक्ष प्रबंध निदेशक
 डिन 06699868 डिन 06855317

Balance Sheet As At 31st March 2014

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014	Figures as at the end of pervious reporting period ending on 31/03/2013
I EQUITY AND LIABILITIES			
1.Shareholder's Funds			
(a) Share Capital	1	50,000,000	50,000,000
(b) Reserves and Surplus	2	36,722,437	27,808,610
(c) Money received against share warrants			
2.Share application money pending allotment			
3.Non-Current Liabilities			
(a) Long-term borrowings		-	-
(b) Deferred tax liabilities (Net)		-	-
(c) Other Long-Term liabilities		-	-
(d) Long Term provisions		-	-
4.Current Liabilities			
(a) Short-term borrowings		-	-
(b) Trade Payables		-	-
(c) Other current liabilities	3	169,900,371	8,207,027
(d) Short-term provisions	4	-	4,298,274
Total		256,622,808	90,313,911
II ASSETS			
1.Non-current assets			
(a) Fixed assets		-	-
(i) Tangible assets		-	-
(ii) Intangible assets		-	-
(iii) Capital work-in-progress		-	-
(iv) Intangible assets under development		-	-
(b) Non-current investments		-	-
(c) Deferred tax assets (net)		-	-
(d) Long term loans and advances		-	-
(e) Other non-current assets		-	-
2.Current assets			
(a) Current investments		-	-
(b) Inventories		-	-
(c) Trade receivables		-	-
(d) Cash and cash equivalents	5	245,723,313	77,504,606
(e) Short-term loans and advances	6	-	2,555,186
(f) Other Current Assets	7	10,899,495	10,254,119
Total		256,622,808	90,313,911
Significant Accounting Policies		1-22	
Notes forming Part of financial Statements			

As per our report of even date attached
For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

Sd/-
(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495
Place : New Delhi
Date : 27.06.2014

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-
(Bhim Sain Bassi)
Chairman
DIN No.06699868

Sd/-
(Kishan Kumar)
Managing Director
DIN No.06855317

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2014 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
I राजस्व			
प्रचालन से प्राप्त राजस्व	8	77,100,056	84,360,000
अन्य आय	9	46,739,843	37,836,712
राजस्व कुल		123,839,899	122,196,712
II व्यय			
परियोजना व्यय की लागत	10	103,220,854	96,823,026
स्टॉक इन ट्रेड की खरीद		—	—
माल सूची में परिवर्तन		—	—
कर्मचारी हित व्यय		—	—
वित्तीय लागत		—	—
अवमूल्यन एवं अपाकरण व्यय		—	—
अन्य व्यय	11	7,403,651	12,009,852
व्यय कुल		110,624,505	108,832,878
III आपवादिक और असाधारण मदों एवं करों के पूर्व लाभ	(I-II)	13,215,394	13,363,834
IV आपवादिक मदें		—	—
V असाधारण मदों और करों से पूर्व लाभ	(III-IV)	13,215,394	13,363,834
VI असाधारण मदें		—	—
VII कर पूर्व लाभ	(V-VI)	13,215,394	13,363,834
VIII कर व्यय			
चालू कर		4,301,567	4,298,274
आस्थगित कर		—	43,775
IX अनिरंतर प्रचालनों की अवधि से लाभ	(VII-VIII)	8,913,827	9,021,785
X अनिरंतर प्रचालनों की अवधि से लाभ / (हानि)		—	—
XI अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय		—	—
XII अनिरंतर प्रचालनों से लाभ / (हानि)	(X-XI)	—	—
XIII अवधि के लिए लाभ / (हानि)	(IX-XII)	8,913,827	9,021,785
XIV प्रत्येक रु.100/- के सममूल्य के इक्विटी शेयर			
XV प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:			
(i) मूल और तरलीकृत		17.83	18.04
XVI प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या			
(i) मूल और तरलीकृत		500,000	500,000
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का भाग हैं।	1-22		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुंदर शर्मा एड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-008629एन
ह.

(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.06.2014

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.
(भीम सेन बस्सी)
अध्यक्ष
डिन 06699868

ह.
(किशन कुमार)
प्रबंध निदेशक
डिन 06855317

Statement Of Profit & Loss For The Ended 31st March 2014

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014	Figures at the end of previous reporting period ending on 31/03/2013
I. REVENUE			
Revenue from operations	8	77,100,056	84,360,000
Other Income	9	46,739,843	37,836,712
Total Revenue		123,839,899	122,196,712
II. EXPENSES:			
Cost of Project Expenses	10	103,220,854	96,823,026
Purchase of Stock-in-Trade		-	-
Changes in inventories		-	-
Employee benefit expense		-	-
Financial costs		-	-
Depreciation and amortization expense		-	-
Other expenses	11	7,403,651	12,009,852
Total Expenses		110,624,505	108,832,878
III. Profit before exceptional and extraordinary items and tax	(I-II)	13,215,394	13,363,834
IV. Exceptional Items		-	-
V. Profit before extraordinary items and tax	(III-IV)	13,215,394	13,363,834
VI. Extraordinary Items		-	-
VII. Profit before tax	(V-VI)	13,215,394	13,363,834
VIII. Tax expense:			
Current tax		4,301,567	4,298,274
Deferred tax		-	43,775
IX. Profit(Loss) from the period from continuing operations	(VII-VIII)	8,913,827	9,021,785
X. Profit/(Loss) from discontinuing operations		-	-
XI. Tax expense of discontinuing operations		-	-
XII. Profit/(Loss) from Discontinuing operations	(IX-X)	-	-
XIII. Profit/(Loss) for the period	(XI-XII)	8,913,827	9,021,785
XIV. Equity shares of par value Rs.100/- each			
XV. Earning per equity share:			
(1)Basic and Diluted		17.83	18.04
XVI. Number of shares used in computing earnings per share			
(1)(Basic and Diluted)		500,000	500,000
Significant Accounting Policies	1-22		
Notes forming Part of financial Statements			

As per our report of even date attached
For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

Sd/-
(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495
Place : New Delhi
Date : 27.06.2014

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-
(Bhim Sain Bassi)
Chairman
DIN No.06699868

Sd/-
(Kishan Kumar)
Managing Director
DIN No.06855317

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1 शेयर पूंजी

क) शेयर पूंजी	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
प्राधिकृत				
प्रति रुपए 100/- के इक्विटी शेयर	1,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
जारी				
प्रति रुपए 100/- के इक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
प्रति रुपए 100/- के इक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
अभिदत्त किंतु पूर्णतः प्रदत्त नहीं	-	-	-	-
कुल	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

ख) 31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2013 को बकाया शेयरों की संख्या तथा शेयर पूंजी की राशि का सामांजस्य नीचे दिया जा रहा है:

विवरण	31/03/2014 को इक्विटी शेयर		31/03/2013 को इक्विटी शेयर	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान शेयर वापस खरीदे गए	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

ग) 5% से अधिक शेयरों को धारित करने वाले शेयर धारकों के नाम नीचे हैं:

नाम	शेयर धारिता की संख्या	शेयर का प्रकार	शेयर धारिता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	499,940	इक्विटी शेयर	99.99%

घ) 31/03/2014 को अदत्त अंश

विवरण	रुपए
निदेशक द्वारा	-
अधिकारियों द्वारा	-

2. आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
प्रारंभिक शेष	27,808,610	18,786,825
जोड़े : लाभ और हानि लेखा	8,913,827	9,021,785
कुल	36,722,437	27,808,610

Note on Financial Statements for the Year ended 31st March,2014

1 SHARE CAPITAL

a) Share Capital	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014		Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2013	
	Number	Rs.	Number	Rs.
Authorised Equity shares of Rs.100 each	1,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
Issued Equity shares of Rs.100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Subscribed and Fully Paid up Equity shares of Rs. 100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Subscribed but not fully Paid up	-	-	-	-
Total	500,000	50,000,000	5,00,000	500,00,000

b) The reconciliation of the number of shares outstanding and the amount of share Capital as at March 31, 2014 and March 31, 2013 is set out below:

Particulars	Equity Shares as on 31/03/2014		Equity Shares as on 31/03/2013	
	No.	Amount	No.	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Shares issued during the year	-	-	-	-
Shares bought back during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

c) Below are the name(s) of the shareholders holding more than 5% of Shares

Name	No. of Share Holding	Class of Share	Percentage of Holding
President of India	499,940	Equity Share	99.99%

d) Unpaid calls as on 31/03/2014

Particulars	Rs.
By Directors	-
By Officers	-

2 RESERVE & SURPLUS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2013
Opening Balance	27,808,610	18,786,825
Add: Profit & Loss A/c	8,913,827	9,021,785
Total	36,722,437	27,808,610

3. अन्य चालू देयताएं

विवरण	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
अव्ययित सरकारी अनुदान	165,939,944	6,640,000
दिल्ली पुलिस	789,503	789,503
भुगतान योग्य व्यावसायिक प्रभार	54,000	45,000
भुगतान योग्य लेखापरीक्षा फीस	35,393	35,393
आशु गुप्ता एंड कंपनी	60,674	56,180
भुगतान योग्य स्रोत पर कटौती राइट्स लि.	681,164	640,951
	2,339,693	—
कुल	169,900,371	8,207,027

4. अल्पावधि प्रावधान

विवरण	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
कर के लिए प्रावधान	1,978,073	1,908,504
कुल	—	—

5. नकद और नकद समकक्ष

विवरण	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
क) बैंक शेष		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 825	51,013	488,497
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 1075	46,995	44,386
ख) बैंक, हस्तांगत ड्राफ्ट	—	—
ग) हस्तांगत नकद	—	—
घ) अन्य		
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	245,625,305	76,971,723
i. बैंक में चिह्नित शेष	—	—
ii. मार्जिन मनी के रूप में रखे जाने तक अथवा ऋण के लिए प्रतिभूति, गारंटी	—	—
iii. 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक सावधि जमा	—	—
कुल	245,723,313	77,504,606

6. ऋण और अग्रिम

विवरण	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
अग्रिम आयकर	—	2,555,186
कुल	—	2,555,186

3 OTHER CURRENT LIABILITIES

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2013
Unspent Government Grant	165,939,944	6,640,000
Delhi Police	789,503	789,503
Professional Charges Payable	54,000	45,000
Audit Fees Payable	35,393	35,393
Ashu Gupta & Co.	60,674	56,180
TDS Payable	681,164	640,951
Rites Ltd.	2,339,693	-
Total	169,900,371	8,207,027

4 SHORT TERM PROVISIONS

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2013
Provision for Tax	-	4,298,274
Total	-	4,298,274

5 CASH & CASH EQUIVALENTS

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2013
a) Balance with Bank	51,013	488,497
State Bank of India –A/c-825	46,995	44,386
State Bank of India-A/c-1075	-	-
b) Cheques, draft on hand	-	-
c) Ca sh on hand	-	-
d) Others	245,625,305	76,971,723
FDR's with SBI banks	-	-
i. Balances with Banks	-	-
ii. Balance with Bank to the extent held as margin money or security against the borrowings, guarantee	-	-
iii. Bank deposit with more than 12 month maturity	-	-
Total	245,723,313	77,504,606

6 LOANS & ADVANCES

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2013
Advance Income Tax	-	2,555,186
Total	-	2,555,186

7. अन्य चालू आस्तियां

विवरण	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	3,690,864	2,403,612
स्रोत पर कर की कटौती	—	1,263,425
पीडब्ल्यूडी	6,000,000	6,000,000
हिंदुस्तान प्रीफैब लि.	356,918	579,267
राईट्स लिमिटेड	—	7,815
आयकर (स्रोत पर कर की कटौती और आयकर का निवल)	851,713	—
कुल	10,899,495	10,254,119

8. अन्य चालू आस्तियां

विवरण	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
प्राप्त सरकारी अनुदान	77,100,056	84,360,000
कुल	77,100,056	84,360,000

9. अन्य आय

विवरण	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
एसबीआई में सावधि जमा पर ब्याज	14,996,722	12,586,905
अग्रिम पर ब्याज	31,743,121	25,249,807
कुल	46,739,843	37,836,712

10. परियोजना लागत का व्यय

विवरण	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
निर्माण व्यय (पुलिस स्टेशन)	103,220,854	96,823,026
कुल	103,220,854	96,823,026

11. अन्य व्यय

विवरण	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2013 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
निष्पादन और परामर्श प्रभार	6,861,468	11,560,463
कानूनी और व्यावसायी फीस	60,000	60,000
प्रतिधारण प्रभार	393,260	302,360
आरओसी फीस	3,700	5,700
विविध व्यय	1,934	—
स्रोत पर कर की कटौती पर ब्याज	200	17,300
आयकर पर ब्याज	42,437	24,153
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	39,326	39,326
बैंक प्रभार	1,326	550
कुल	7,403,651	12,009,852

7 OTHER CURRENT ASSETS

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2013
Accrued Interest on FDs	3,690,864	2,403,612
Tax Deducted at source	-	1,263,425
PWD	6,000,000	6,000,000
Hindustan Prefab Ltd.	356,918	579,267
Rites Ltd.	-	7,815
Income Tax (Net of TDS & Advance Tax)	851,713	-
Total	10,899,495	10,254,119

8 REVENUE FROM OPERATIONS

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2013
Government Grant Received	77,100,056	84,360,000
Total	77,100,056	84,360,000

9 OTHER INCOMES

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2013
Interest on term deposit with SBI	14,996,722	12,586,905
Interest on Advance	31,743,121	25,249,807
Total	46,739,843	37,836,712

10 COST OF PROJECT EXPENSES

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2013
Construction Expenses (Police Station)	103,220,854	96,823,026
Total	103,220,854	96,823,026

11 OTHER EXPENSES

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2014	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2013
Execution & Consultancy Charges	6,861,468	11,560,463
Legal & Professional Fees	60,000	60,000
Retainership Charges	393,260	302,360
ROC Fees	3,700	5,700
Misc Expenses	1,934	-
Interest on TDS	200	17,300
Interest on Income Tax	42,437	24,153
Auditors Remuneration	39,326	39,326
Bank Charges	1,326	550
Total	7,403,651	12,009,852

12. कंपनी को पुलिस आधुनिकीकरण निधि में से पुलिस थाना के निर्माण/आधुनिकीकरण के उद्देश्य के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है। कंपनी इन अनुदानों को राजस्व अनुदान मान रही है और इन अनुदानों में से एचपीएल और राईट्स लिमिटेड को किए गए सभी भुगतानों को कार्य की पूर्णता की डिग्री के आधार पर कार्यशील पूंजी के अनुसार मानने के बजाए लाभ और हानि लेखे में निर्माण व्यय तथा निष्पादन एवं परामर्श प्रभार शीर्ष के अंतर्गत नामे किया गया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान में से रु. 7,71,00,056/- का भुगतान राईट्स लि. को किया तथा इस अनुदान के किए गए सभी भुगतानों को निर्माण लागत संबंधी व्यय और निष्पादन व परामर्श प्रभार के रूप में दिखाया गया है।
13. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी को मैसर्स एचपीएल और राईट्स लि. द्वारा उन्हें पुलिस थाना के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए दिए अग्रिम पर रु. 3,17,43,121/- का ब्याज प्रदान किया गया है। कंपनी ने इन ब्याजों को अन्य आय शीर्षांतर्गत गिना है तथा इस राशि को परियोजना की निर्माण लागत और निष्पादन व परामर्श प्रभार के शीर्ष के तहत नामे भी किया है।
14. दिनांक 31.03.2013 को अप्रयुक्त अनुदान की रु. 66,40,000/- की अप्रयुक्त राशि शेष थी तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त रु.23,64,00,000/- की अनुदान राशि में से रु.15,92,99,944/- अप्रयुक्त रही। उक्त की कुल राशि को तुलन-पत्र में अन्य चालू देयताएं में दर्शाया गया है क्योंकि समयावधि के साथ लेखा मानक-12 के अनुसार क्षतिपूर्ति करने के लिए संबंधित लागतों के साथ मिलाना करना आवश्यक था।
15. देनदार/अग्रिम और लेनदार समाधान के अधीन हैं।
16. कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।
17. लेखा मानक-15 कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि कंपनी के अपने कोई कर्मचारी नहीं हैं।
12. The company receiving Government Grants for the Purpose of Construction/Modernization of Police Stations out of the Police modernization Fund. the company is treating these grants as revenue grant and all payments made out of these grant to HPL & Rites Limited has been debited under the head Construction Expenses and Executing & Consultancy Charges in Profit & Loss account instead of treating them as Capital Working in Progress the basis of degree of completion of work. During the financial year the company made a payment of Rs.7,71,00,056/- to Rites Limited against the grant. All this payment against this grant is shown as expenditure relating to Construction Cost and Execution & Consultancy charges.
13. The HPL & Rites has provided the interest for Rs.3,17,43,121/- during the financial year 2013-2014 to the Company on the advances given for construction and modernization of Police Station to them. The Company has accounted these interests under the head of other income and also debited such sum under the head of Cost of Construction and Execution & Consultancy charges of project.
14. There was outstanding balance of Rs.66,40,000/- of unutilized grant as on 31/03/2013 and Rs.15,92,99,944/- remains unutilized out of grant received for Rs.23,64,00,000/- during the financial year 2013-14. The total of same is shown in Other Current Liabilities in the Balance Sheet as it is recognized on a systematic basis in the Statement of Profit & Loss over the period necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate as per Accounting Standard - 12.
15. Advances are subject to reconciliation.
16. There is no Contingent liability of the Company.
17. AS-15 is not applicable to the company since the company does not have any employee its own.

18. प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा निम्न है:

18. The details of Management Personnel are as follows:

क्रसं० S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	त्यागपत्र की तारीख Date of Resignation
1.	श्री वाई. एस. डडवाल Sh. Y.S. Dadwal	अध्यक्ष Chairman	16/11/2007	10/11/2010
2.	श्री बी. के. गुप्ता Sh. B.K. Gupta	अध्यक्ष Chairman	16/12/2010	03/09/2012
3.	श्री दीप चन्द Sh. Deep Chand	प्रबंध निदेशक Managing Director	13/07/2009	31/03/2010
4.	श्री नीरज कुमार Sh. Neeraj Kumar	प्रबंध निदेशक Managing Director	01/04/2010	22/11/2010
5.	श्री टी. एन. मोहन Sh. T.N. Mohan	प्रबंध निदेशक Managing Director	16/12/2010	24/02/2014
6.	श्री अजय चगती Sh. Ajay Chagti	गृह सचिव Secretary Home	02/09/2011	22/06/2012
7.	श्री अरुण गोयल Sh. Arun Goel	निदेशक Director	02/09/2011	03/09/2013
8.	डॉ. शब्द प्रकाश बंसल Dr. Shabd Prakash Bansal	निदेशक Director	16/11/2007	03/12/2013
9.	श्री एम. जी. रेड्डी Sh. M.G. Reddy	निदेशक Director	22/12/2010	23/03/2012
10.	डॉ. ए. के. सक्सेना Dr. A.K. Saxena	निदेशक (दिल्ली) गृह मंत्रालय Director (Delhi) MHA	22/06/2012	जारी Continuing
11.	श्री नीरज कुमार Sh. Neeraj Kumar	अध्यक्ष Chairman	03/09/2012	31/07/2013
12.	श्री भीम सेन बस्सी Sh. Bhim Sain Bassi	अध्यक्ष Chairman	01/08/2013	जारी Continuing
13.	डॉ. डी. आर. टम्टा Dr. D. R. Tamta	गृह सचिव Secretary Home	17/12/2012	08/02/2013
14.	श्री गिरधारी लाल मीणा Shri Girdhari Lal Meena	निदेशक Director	29/10/2013	जारी Continuing
15.	श्री एस. पी. पाठक Sh. S.P. Pathak	निदेशक Director	27/02/2014	जारी Continuing
16.	श्री किशन कुमार Sh. Kishan Kumar	प्रबंध निदेशक Managing Director	20/03/2014	जारी Continuing

19. कंपनी ने जहां कानून प्रवर्तनीय है चालू कर आस्तियां और देयताओं को समायोजित किया है तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-22 "आयकर पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार निवल आधार पर ऐसी आस्तियों और देयताओं का समाधान किया है।

राशि (रुपयों में)

कर के लिए प्रावधान	(43,01,567)
अग्रिम कर	22,93,080
स्रोत पर कर की कटौती प्राप्तव्य	28,60,200
आयकर (स्रोत पर कर की निवल कटौती और अग्रिम कर)	8,51,713

19. The Company offsets, the current tax assets and liabilities, where it has legally enforceable right and where it intends to settle such assets and liability on a net basis in accordance with Accounting Standard – 22 "Accounting for Taxes on Income" issued by ICAI and accordingly Provision for Tax, Advance Tax & TDS receivable shown as follows in financial statements.

(Amount in Rs.)

Provision for Tax	(43,01,567)
Advance Tax	22,93,080
TDS receivable	28,60,200
Income Tax (Net of TDS & Advance Tax)	8,51,713

20. प्रति शेयर मूलभूत/तरलीकृत अर्जन की गणना लेखा के अनुसार वर्ष के लिए कराधान के बाद निवल लाभ को घटाकर की जाती है, जो वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या द्वारा ईक्विटी शेयर धारकों के लिए माना जा सके।

20. Basic/Diluted Earning Per Shares has been calculated by dividing net profit after taxation for the year as per accounts, which is attributable to equity share holders by numbers of equity shares outstanding at the end of the year.

(राशि रूपयों में /Amount in Rs.)

प्रति शेयर अर्जन	Calculation of EPS	As on 31.03.2014 को	As on 31.03.2013 को
(क) वर्ष के लिए निवल लाभ	a) Net Profit for the year	89,13,827	90,21,785
(ख) ईक्विटी शेयरों की संख्या	b) No. of equity Shares	5,00,000	500,000
(ग) प्रति शेयर मूलभूत/तरलीकृत अर्जन	c) Basic/Diluted EPS (a/b)	17.83	18.04
(घ) प्रति शेयर अंकित मूल्य	d) Nominal Value per share	100	100

21. कंपनी की लघु उद्योगों/उपक्रमों के पक्ष में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

21. The Company has no outstanding liability towards small – scale Industries/undertakings.

22. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

22. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

क) वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार

a. BASIC PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

लेखांकन परिपाटी – वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की प्रस्तुति की प्रासंगिक आवश्यकता का पालन करते हैं।

Accounting Convention – The Financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis and in accordance with generally accepted accounting principles and applicable accounting standards in India. The Financial statements adhere to the relevant presentation requirement of the Companies Act, 1956.

ख) स्थायी आस्तियां

वर्ष के दौरान कोई स्थायी आस्तियां खरीदी नहीं गई।

b. FIXED ASSETS

No Fixed Assets purchased during the year.

ग) मूल्यांकास

कोई स्थायी आस्तियां खरीदी नहीं गई, अतएव वर्ष के दौरान, कोई मूल्यांकास प्रभावित नहीं किया गया।

c. DEPRECIATION

There is no Fixed Assets purchased hence no depreciation charged during the year.

घ) चालू देयताएं

आरंभिक खर्चों और अन्य व्ययों को दिल्ली पुलिस द्वारा वित्तपोषित किया गया है और जिसे उन्हें अदा किया जाना है, क्योंकि चालू देयताएं माना गया है।

d. CURRENT LIABILITIES

Preliminary Expenses and other Expenses financed by Delhi Police and payable to them are considered as current Liabilities.

ङ) आय (राजस्व) मान्यता नीति

आय को जब कभी अर्जित किया जाएगा मान्यता दी जाएगी

e. REVENUE RECOGNITION POLICY

Income is recognized as and when accrued.

च) करों के लिए लेखांकन

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय के संबंध में कर अदायगी की राशि पर चालू कर निर्धारित किया है।

f. ACCOUNTING FOR TAX

Current Tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income as per the provisions of the Income Tax Act, 1961

छ) सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन

सरकार और अन्य एजेंसियों से राजस्व व्यय के लिए प्राप्त अनुदानों को समय के साथ मान्यता दी गई जिस पर संबंधित लागतों को खर्च किया गया तथा संबंधित व्यय से कटौती की गई। कंपनी को सरकार से पुलिस आधुनिकीकरण निधि में से पुलिस थाना के निर्माण और आधुनिकीकरण के उद्देश्य के लिए सरकारी अनुदान

g. ACCOUNTING OF GOVERNMENT GRANTS

Grants from government and other agencies towards revenue expenditure are recognized over the period in which the related costs are incurred and are deducted from the related expenses. The company has been receiving Government grants for the purpose of Construction/Modernization of Police Stations

प्राप्त हो रहा है। कंपनी इन अनुदानों को राजस्व अनुदान माना है तथा इन अनुदानों में एचपीएल और राइट्स लिमिटेड को किए गए सभी भुगतानों को कार्यपूर्णता की डिग्री के आधार पर कार्यशील पूंजी के रूप में मानने के बजाय लाभ और हानि के लेखे में निर्माण व्यय तथा निष्पादन और परामर्श प्रभार के शीर्ष के अंतर्गत बुक किया गया है।

ज) प्रावधान

माप में अनुमानों की पर्याप्त डिग्री को शामिल करते हुए प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जहां घटना के परिणामस्वरूप दायित्व होता है तथा यह संभव हो कि वहां स्रोत का बहिर्वाह होगा। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी गई है लेकिन लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है। आकस्मिक आस्तियों को ना ही मान्यता दी गई है न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

झ) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना और उसका प्रकटीकरण अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की प्रति शेयर भारित औसत संख्या का प्रयोग कर की जाती है। प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन की गणना और उसका प्रकटीकरण, जब परिणाम तरलीकृत न हो उसे छोड़कर, अवधि के दौरान बकाया शेयरों के समकक्ष ईक्विटी और तरलीकृत ईक्विटी की भारित औसत संख्या का प्रयोग किया जाता है।

out the police modernization fund. The company is treating these grants as revenue grants and all the payments made out of these grant to Hindustan Prefab Limited & Rites Limited has been booked under head Construction Expenses and Execution & Consultancy Charges in Profit & loss account instead of treating them as Capital working progress the basis of degree of completion work.

h. PROVISIONS

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is present obligation as result of events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognized but are disclosed in the notes to accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

i. EARNING PER SHARE

Basic Earnings per Share is computed and disclosed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. A dilutive earnings per share is computed and disclosed using weighted average number of equity and dilutive equity equivalent share outstanding during the period, except when the results would be anti-dilutive.

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुंदर शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-008629एन
ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह. (भीम सेन बस्सी) अध्यक्ष डिन 06699868	ह. (किशन कुमार) प्रबंध निदेशक डिन 06855317
---	--

As per our report of even date attached
For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-
(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495
Place : New Delhi
Date : 27.06.2014

Sd/- (B. S. Bassi) Chairman DIN No.06699868	Sd/- (Kishan Kumar) Managing Director DIN No.06855317
---	---

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

Independent Auditor's Report

सदस्यगण,

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों जिसमें की लेखापरीक्षा की 31 मार्च, 2014 का संबद्ध तुलन-पत्र तथा उसी वर्ष को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण की तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध समिति का दायित्व

“प्रबंध समिति इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जोकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संगत डिज़ाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का अनुरक्षण शामिल है जो सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं तथा भौतिक मिथ्या विवरण मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण हुआ हो।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित इन एकल वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय प्रतिवेदन मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया में वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या कथन के जोखिम, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ है, का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखापरीक्षकों ने कंपनी की तैयारी में संगत आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा की प्रक्रिया अभिकल्पित करके वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति का विचार किया है जो

THE MEMBERS

OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014, and the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the financial statement

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion of these standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances,

परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंध समिति द्वारा लेखांकन प्राक्कलन की तर्कसंगतता तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और लेखा परीक्षा की राय के आधार के लिए पर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा की राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं को देते हैं तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि में 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी की मद सं. 12 और 13 को छोड़कर सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं:

- क) 31 मार्च, 2014 को कंपनी के कार्यकलापों को तुलन-पत्र के मामले में; और
- ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि के लाभ और हानि लेखे के मामले में;

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 227 की उप धारा (4क) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित अनुसार हम आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम संलग्न अनुलग्नक 'क' में विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने वे सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे;
 - (ख) हमारी राय में, कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियां रखी हैं, जो कि नियमानुसार आवश्यक हैं, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा द्वारा सामने आया है
 - (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह का विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं।
 - (घ) हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह का विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3सी) संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं

but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Audit Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view except subject to point No.12 & 13 of Notes on Financial Statements for the Year ended 31st March, 2014, in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2014; and
- b) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit/loss for the year ended on that date.

Report on Other legal & Regulatory requirement

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2003 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the Order.
2. As required by section 227(3) of the Act, we report that:
 - a) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
 - c) The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d) In our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards referred to in sub section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956.



(ड) 31 मार्च, 2014 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों तथा निदेशकों द्वारा रिकार्ड करने के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप-धारा (1) के खंड (जी) के संदर्भ में 31 मार्च, 2014 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

e) On the basis of written representations received from the directors as on 31 March, 2014, and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March, 2014, from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956.

कृते सुंदर शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन-008629एन



ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.06.2014

For **SUNDER SHARMA & CO.**
Chartered Accountants
FRN-008629N

(CA SUNDER SHARMA)
Partner
M.No.-087495



Place : New Delhi
Date :27.06.2014

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक

ऐसी जांच जिसे हमने उपयुक्त समझा तथा लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान हमें दी गई सूचना और जानकारी के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि

1. यह मद कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है।
2. यह मद कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की कोई माल सूची नहीं है।
3. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों को/से प्रतिभूत/अप्रतिभूत न किसी को ऋण प्रदान किया न लिया।
4. हमें स्पष्ट किया गया कि कंपनी के आकार और कार्य-व्यापार की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी माल और अचल संपत्ति खरीदने एवं व्ययों के भुगतान तथा सामानों की बिक्री संबंधी कार्यों का निष्पादन एजेंसियों मैसर्स राइट्स लिमिटेड और मैसर्स हिंदुस्तान प्रिफेब लिमिटेड के माध्यम से करवाती है जिनकी अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है।
5. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित किसी संविदा अथवा करार में कंपनी शामिल नहीं हुई।
6. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए और 58एए के अंतर्गत शामिल जनता से कोई निवेश स्वीकार नहीं किया है।
7. प्रबंध समिति द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की अपने आकार और कार्य-व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
8. यह बिंदु कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी की गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव केन्द्र सरकार ने निर्धारित नहीं किया है।
9. (क) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, निर्विवाद वैधानिक देय राशि जिसमें भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, लागू सीमा तक उपकर तथा अन्य कोई सांविधिक देयों को सामान्यतः उचित प्राधिकारियों के पास नियमित जमा किया गया है। तदनुसार, हमें दी गई सूचना और

Annexure to Auditor's Report

The Annexure referred to in paragraph 1 of the Our Report of even date to the members of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED on the Company for the year ended 31st March, 2014.

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

1. This point is not applicable to the company as the company had no fixed asset during the period of audit.
2. This point is not applicable to the company as the company had no inventory during the period of audit.
3. According to the information and explanations given to us, the Company has neither granted nor taking any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956 during the period of audit.
4. It is explained to us that there is no need of internal control procedure commensurate with the size of the company and the nature of its business, for the purchase of inventories & fixed assets and payment for expenses & for sale of goods as it is getting its work through executing agencies M/s Rites Limited & M/s Hindustan Prefab Limited which have their own internal control systems.
5. According to the information and explanations given to us, the Company did not enter into contact or agreement referred to in section 301 of the act.
6. The Company has not accepted any deposits from the public covered under section 58A and 58AA of the Companies Act, 1956.
7. As per information & explanations given by the management, the Company does not have any internal audit system commensurate with its size and the nature of its business.
8. This Point is not applicable to the company as the central government has not prescribed maintenance of cost record under section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956 in respect of the activities of the company.
- 9.(a) According to the records of the company undisputed statutory dues including Provident Fund, Investor Education and Protection Fund, Employees' State Insurance, Income-tax, Sales-tax, Wealth Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, cess to the extent applicable and any other statutory dues have generally been regularly deposited with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us there were no outstanding statutory



जानकारी के अनुसार अदायगी योग्य की तारीख से छह मास से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2014 को कोई सांविधिक देय बकाया नहीं है।

- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में देय कोई राशि नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं की गई है।
10. कंपनी पर लागू नहीं होता।
 11. कंपनी पर लागू नहीं होता।
 12. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रख कर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया गया।
 13. कंपनी पर लागू नहीं होता।
 14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी शेयरों, म्युचुअल फंड और अन्य निवेशों में कोई लेन-देन नहीं है।
 15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है।
 16. हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं तथा प्रबंध समिति द्वारा हमें दी गई जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं उठाया है।
 17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा 31 मार्च, 2014 को कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने दीर्घावधि निवेश के लिए अल्पावधि आधार पर बनाई गई निधियों का उपयोग नहीं किया है।
 18. हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं तथा प्रबंध समिति द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिमानी शेयरों का आवंटन नहीं किया है।
 19. लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई बकाया डिबेंचर नहीं है।
 20. वर्ष के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के रूप में कोई धन नहीं उठाया है।
 21. हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं तथा प्रबंध समिति द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना न दिखी अथवा प्रबंध समिति द्वारा ऐसे मामलों को हमें सूचित किया गया।

कृते सुंदर शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन-008629एन
ह.

(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार

सदस्यता सं. 087495
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.06.2014



dues as on 31st March, 2014 for a period of more than six months from the date they became payable.

- (b) According to the information and explanations given to us, there is no amounts payable in respect of income tax, wealth tax, service tax, sales tax, customs duty and excise duty which have not been deposited on account of any disputes.
10. Not applicable to the company.
 11. Not applicable to the company.
 12. According to the information and explanations given to us, the Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
 13. Not applicable to the company.
 14. According to information and explanations given to us, the Company is not trading in Shares, Mutual funds & other investments.
 15. According to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantees for loan taken by others from a bank or financial institution.
 16. Based on our audit procedures and on the information given by the management, we report that the company has not raised any term loans during the year.
 17. Based on the information and explanations given to us and on an overall examination of the Balance Sheet of the Company as at 31st March, 2014, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term investment by the Company.
 18. Based on the audit procedures performed and the information and explanations given to us by the management, we report that the Company has not made any preferential allotment of shares during the year.
 19. The Company has no outstanding debentures during the period under audit.
 20. The Company has not raised any money by public issue during the year.
 21. Based on the audit procedures performed and the information and explanations given to us, we report that no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.

For **SUNDER SHARMA & CO.**
Chartered Accountants
FRN-008629N

(CA SUNDER SHARMA)
Partner
M.No.-087495
Place : New Delhi
Date :27.06.2014



कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – IV नई दिल्ली

गोपनीय

सं.240-पीडीसीए/एचएस/एमएबी-IV/ए/एसी/डीपीएचसीएल/14-15/255

दिनांक : 11.07.2014

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के-ब्लॉक, विकास भवन
आई. पी. एस्टेट
नई दिल्ली-110002

विषय : भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 169(4) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां

महोदय,

मैं दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 619 (4) के अंतर्गत गैर समीक्षा प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

ह.

(अत्रेयी दास)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

संलग्नक: उपरोक्त

आठवां व नवां तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110002

दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फ़ैक्स : 23239416

ई-मेल : mabNewdelhi4@cag.gov.in



कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली.
Office of the Director General of Commercial
Audit & Ex-officio Member, Audit Board-IV, New Delhi.

Confidential

No. 240-PDCA/HS/MAB-IV/A/cs/DPHCL/14-15 / 255
Dated: 11.07.2014

To
The Managing Director,
Delhi Police Housing Corporation Limited
K- Block, Vikas Bhawan,
I.P Estate,
New Delhi- 110002.

Sub: Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of Delhi Police Housing Corporation Limited for the year ended 31 March 2014.

Sir,

I am to enclose herewith a Non-Review Certificate under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31st March 2014.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Atreyee Das
11/7/14

(Atreyee Das)

Director General of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

Encl: As above

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट की निर्धारित संरचना के अनुसार **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** की 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व कंपनी की प्रबंधन समिति का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित मानक आश्वासनों को देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी **27.06.2014** की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** के लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय किया है और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा उनकी ओर से

ह.

(अत्रेयी दास)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड .-IV


स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.07.2014

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619 (4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2014

The preparation of financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31st March 2014 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act 1956 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27.06.2014.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to review the report of Statutory Auditors on the accounts of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31st March 2014 and as such have no comments to make under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the Comptroller
and Auditor General of India


11/7/14

(Atreyee Das)

Director General of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

Place: New Delhi.
Date: 11.07.2014

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com